भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3430

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु की सुपर स्पेशियलिटी सीटों का वापस अंतरण

†3430. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तमिलनाडु राज्य कोटे के अंतर्गत सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 215 सुपर स्पेशियलिटी सीटों में से 145 सीटें राज्य काउंसलिंग के अनिवार्य दूसरे राउंड के आयोजन के बिना ही अखिल भारतीय कोटे (एआईक्यू) के लिए समय से पहले ही वापस अंतरित कर दी गईं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार के समय पर अनुरोध के बावजूद तमिलनाडु के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग कार्यक्रम को अनुमोदित या अधिसूचित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कार्रवाई सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में सेवारत डॉक्टरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वापिस अंतरित की गई सीटों को बहाल करने और तमिलनाडु में दूसरे राउंड की काउंसलिंग की अनुमति देने पर विचार करेगी; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक खामियों से बचने और सभी राज्यों में सुपर स्पेशियलिटी काउंसलिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और सुसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की मेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी) को देश भर में सुपर स्पेशियलिटी (एसएस) पाठ्यक्रमों की 100% सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 53/2022, जिसका शीर्षक एन. कार्तिकेयन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य है, में दिनांक 16 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में

इन-सर्विस अभ्यर्थियों के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया। तमिलनाडु की राज्य चयन समिति (एसएससी) इन आरक्षित सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।

एमसीसी द्वारा अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों और एसएससी, तमिलनाडु द्वारा इन-सर्विस सीटों के लिए काउंसलिंग एक साथ की जाती है, जिसमें अखिल भारतीय काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के तुरंत बाद सेवाकालीन काउंसलिंग का संबंधित दौर होता है।

एसएस काउंसलिंग 2024 के दौरान, इन-सर्विस काउंसलिंग के पहले दौर के पूरा होने के बाद, एसएससी, तमिलनाडु ने खाली बची इन-सर्विस सीटों को एमसीसी को सौंप दिया। इन सीटों को राउंड-2 के लिए एआईक्यू सीट मैट्रिक्स में मिला दिया गया। अखिल भारतीय काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद, शेष बची हुई इन-सर्विस सीटें राज्य को वापस कर दी गईं ताकि इन-सर्विस काउंसलिंग का दूसरा दौर शुरू किया जा सके। इसके अलावा, प्रतिशत में कमी के बाद पात्र हुए उम्मीदवारों का डेटा भी राज्य को भेजा गया ताकि इन-सर्विस सीटों के लिए अलग-अलग दौर आयोजित किए जा सकें।

******